आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,छत्तीसगढ़
(इन्द्रावती भवन परिसर, भू–तल, ब्लाक–2, नया रायपुर)
☏ 0771–2410058 फैक्स: 0771–2422627, email - desvital13@gmail.com

आदेश

रायपुर, दिनाँक 05/7/2016

क्रमांक 2021/2016/आसांसं./जीवनांकः– भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 02.09.2013 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छ.ग. रायपुर द्वारा **डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट** (Data Processing Assistant) संविदा नियुक्ति के पद का एकजाई मासिक **वेतन रू. 15000/–** (अक्षरी पन्द्रह हजार रूपये) मात्र पर निम्नलिखित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर निम्नांकित शर्तों के तहत **कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए** संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क.	अभ्यार्थी का नाम	पिता का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थी स्थान
1	श्री सौरभ कुमार गजभिये	श्री रूप कुमार	अनारक्षित	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय– दंतेवाड़ा
2	श्री किशोर कुमार	श्री त्रिलोचन	अनारक्षित	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय– रायगढ़
3	श्रीमति अनिता घाटगे	पति श्री अजय राव	अनारक्षित महिला	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय– जांजगीर चांपा

नियुक्ति की शर्तें:–

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण दिनांक से **एक वर्ष तक** के लिये होगी।
2. संविदा नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में अनुपातिक 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
3. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
4. संविदा अवधि के दौरान कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष में संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
7. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिले के मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन स्वीकार किया जावेगा।
8. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र संदिग्ध पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. उपरोक्त चयनित आवेदको को पदस्थी कार्यालय में दिनांक **20 जुलाई 2016** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

10. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पदों की संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2012 एवं उसके अधीन जारी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

(अमिताभ पाण्डा)
मुख्य रजिस्ट्रार एवं
आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 2022 /2016/आसांसं./जीवनांक रायपुर, दिनांक 05/7/2016

प्रतिलिपिः–

1. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड–1, रामकृभण पुरम्, नई दिल्ली – 110066 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निदेशक, जनगणना निदेशालय, गोविंद सारंग परिसर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर प्रेषित।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. संबंधित जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, **दंतेवाडा/रायगढ़/जांजगीर चांपा/**की ओर प्रेषित।
6. सर्वश्री...को पालनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य रजिस्ट्रार एवं
आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर